न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 108/2021

CCMS NO. : 2021/272

-:: वादीगण :- बनाम -:: प्रतिवादीगण :-

1. राजूराम पुत्र मंगलाराम फौत के कायम मुकाम
   1.1 सुमन पत्नी राजूराम
   1.2 ललिता पुत्री राजूराम
   1.3 योगिता पुत्री राजूराम
   1.4 देवान्शु पुत्र राजूराम
   1.5 निकिता पुत्री राजूराम
   वादीगण संख्या 1/2 से 1/5 नाबालिग जरिए कुदरती वलीया माता सुमन पत्नी राजुराम
2. सुमनदेवी पत्नी राजूराम
   जाति- माली, निवासी- भेरजी का बाडिया रास, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज०।

प्रतिवादीगण:

1. धीसाराम पुत्र छीतरमल
2. हरजी पुत्र जगरूप
   जातियान- गुर्जर, निवासीगण- जगतिया की ढाणी, रास तहसील- जैतारण जिला- पाली राज०।
3. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज०।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.25.08.2021

उपस्थितः- 1. श्री सुनिल प्रजापति, श्री राकेश वैष्णव, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 28/09/2022

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम रास प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज० में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1620 क्षेत्रफल 0.9712 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसमें वादीगण संख्या 01 का कुल भूमि का 1/12वां हक हिस्सा तथा वादीगण संख्या 02 का कुल भूमि का 1/4वां हक हिस्सा बनता है तथा इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कानूनी बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त के मुताबिक तमाम कार्य करते आ रहे है, परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगण की खन्दक/मेडबन्दी को तोड़फोड़कर देते है

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली.

एवं वादीगण को हर समय उनके हक हिस्से से बेदखल करनें पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि होनें से वादीगण अपने हक हिस्से व बंट की भूमि में आधुनिक तरीके से कृषि करनें हेतु बैंक से ऋण नहीं ले सकते है तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं करववा सकते एवं अनेकों प्रकार की राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करनें से वंचित होना पड़ रहा है एवं अनेको प्रकार की कठिनाईयों तथा समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसलिये वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त सामलाती विभाजित कृषि भूमि जो मौके पर अपने हक हिस्से बंट अनुसार बंटी हुई है, का बाई मिट्स बाउण्डस् के कानूनी बंटवाड़ा करवानें हेतु दिनांक 06.08.2021 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप से इंकार हुये एवं प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कथन किया है कि उक्त भूमि का बिना कानूनी बाइ मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाये की उक्त भूमि का किसी अन्य अजनबी क्रेता को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देगें एवं वादीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देगें। यदि प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देगें। यदि प्रतिवादीगण को उनके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं वादीगण अपने जायज हक हकूकों एवं अधिकारों तथा खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगा तथा अनेकों प्रकार की मुकदमेबाजी होगी जिससे विविध प्रकार की पेचीदगिया बढ़ेगी। जिससे वादीगण खर्चे से जैर बार हो जायेगा। इसलिय वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहनें से यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् जी के समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि का वादीगण खातेदार काश्तकार होने से एवं वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से वादीगण अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवानें के अधिकारी है तथा दस्तावेजात् से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी हर दृष्टिकोण्ण से वादीगण के पक्ष में है यदि प्रतिवादीगण बिना कानूनी बंटवाड़ा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य को बैचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते है एवं वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर देते है तथा काश्त सम्बन्धित तमाम कार्य करनें में दखलन्दाजी करते रहते है तो एवं कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग करते है एवं मौके पर कच्चा पक्का निर्माण करते है तो वादीगण को असीम हानि होगी जिसकी पूर्ति कदर संभव नहीं होगी एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढ़ेगी। इसलिय प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यों को रोके जाने हेतु यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार है जो बंटवाड़े के वाद में आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होनें से बतौर प्रतिवादी पक्षकारा बनाया गया है। बिनाय दावा दिनांक 06.08.2021 को वादी ने प्रतिवादीगण को बाई मिट्स बाउण्डस् के बंटवाड़ा करनें का कहनें पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करनें पर एवं बिना बंटवाड़ा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करनें एवं वादीगण को उसके हक हिस्से व कब्जे से बेदखल करनें की ऐलानिया धमकी देनें पर बमुकाम रास प्रथम तहसील जैतारण

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

जिला पाली राज0 में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से यह वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वादी का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया, प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ पत्र, इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम रास प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 सम्वत् 2077-2080 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण बरूवे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 1620 क्षैत्रफल 0.9712 हेक्टैयर किस्म बारानी दोयम में वादीगण के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा ग्राम रास प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 1620 क्षैत्रफल 0.9712 हेक्टैयर किस्म बारानी दोयम भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/1225 दिनांक 24.12.2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/5897 दिनांक 19/09/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम रास प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 1620 क्षैत्रफल 0.9712 हेक्टैयर किस्म बारानी दोयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः-

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	सुमनदेवी पत्नी राजूराम हिस्सा 4/5, ना.बा. देवान्शु पुत्र राजुराम हिस्सा 1/20, ना.बा. ललिता पुत्री राजुराम हिस्सा 1/20, ना.बा. योगिता पुत्री राजुराम हिस्सा 1/20, ना.बा. निकिता पुत्री राजूराम हिस्सा 1/20, ना.बा. की कुदरती वलिया माता सुमनदेवी खुद जाति माली सा.देह खातेदार	1620	0.3237	बा.दो.	0.09
2.	छरजी पुत्र जगरूप हिस्सा 3/4 घासीराम पुत्र छितरमल हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा. ढाणी जगतीया खातेदार	1620/1	0.6475	बा.दो.	0.15

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला पाली

निर्णय आज दिनॉक **28/09/2022** को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण, जिला पाली

डिक्री बमुकदर्मे इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- **सहायक कलक्टर एवं पदेन उखण्ड अधिकारी, जैतारण**

बईजलास :- **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

-:: वादी :- **बनाम** **-:: प्रतिवादीगण :-**

1. राजूराम पुत्र मंगलाराम फौत के
   कायम मुकाम
   1.6 सुमन पत्नी राजूराम
   1.7 ललिता पुत्री राजूराम
   1.8 योगिता पुत्री राजूराम
   1.9 देवान्शु पुत्र राजूराम
   1.10 निकिता पुत्री राजूराम
   वादीगण संख्या 1/2 से 1/5 नाबालिग जरिए कुदरती वलीया माता सुमन पत्नी राजुराम
2. सुमनदेवी पत्नी राजूराम
   जाति- माली, निवासी- भेरजी का बाडिया रास, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।

बनाम

1. घीसाराम पुत्र छीतरमल
2. हरजी पुत्र जगरूप
   जातियान- गुर्जर, निवासीगण- जगतिया की ढाणी, रास तहसील- जैतारण जिला- पाली राज0।
3. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 108/2021

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी श्री सुनिल प्रजापत, श्री राकेश वैष्णव, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम रास प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 1620 क्षैत्रफल 0.9712 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	सुमनदेवी पत्नी राजूराम हिस्सा 4/5, ना.बा. देवान्शु पुत्र राजुराम हिस्सा 1/20, ना.बा. ललिता पुत्री राजुराम हिस्सा 1/20, ना.बा. योगिता पुत्री राजुराम हिस्सा 1/20, ना.बा. निकिता पुत्री राजूराम हिस्सा 1/20, ना.बा. की कुदरती वलिया माता सुमनदेवी खुद जाति माली सा.देह खातेदार	1620	0.3237	बा.दो.	0.09
2.	हरजी पुत्र जगरूप हिस्सा 3/4 घासीराम पुत्र छितरमल हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा. ढाणी जगतीया खातेदार	1620/1	0.6475	बा.दो.	0.15

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....

.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28/09/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
पदेन/उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण, (जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	05-00		स्टाम्प अर्जी	/	
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	05-00		फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	/		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	13-00		मिजानः-	Nil -	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।